# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
# अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

**प्रकरण संख्या 76/2023 खाद्य सुरक्षा**

**उनवान प्रकरण**

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– **प्रार्थी**

**बनाम** 1. दुर्गा लाल शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा फर्म आर एस ऐजेंसी सालासर कॉम्पलेक्स, सांगानेरी गेट, भीलवाडा

**विपक्षी**

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित– 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक **22.09.2023**

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी दुर्गा लाल शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा फर्म आर एस ऐजेंसी सालासर कॉम्पलेक्स, सांगानेरी गेट, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को खोआ आदि का विक्रय कर रहा था। दुर्गा लाल शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा फर्म आर एस ऐजेंसी सालासर कॉम्पलेक्स, सांगानेरी गेट, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर खोआ आम जनता के विक्रय हेतु रखी पायी गयी। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 06.02.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.03.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वंय उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना खोआ सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना खोआ में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) – 22.29% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 30.0% होना चाहिये था। इसी प्रकार Total solids – 52.58% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 55.0% होना चाहिये था। इसी प्रकार B.R. Reading of extracted fat at $4^0$ C – 48.5 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40 से 43 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Reichert value of extracted Fat – 5.95 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 26.0 होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उसने जानबूझकर कोई गलती नही की हैं। बाजार से दूध खरीदकर उसका मावा बनाया जाकर विक्रय किया जाता हैं। किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की जाती हैं। दूध के अनुसार फैट नियत होती हैं। आम जीवन के लिए कोई नुकसानदेह नहीं हैं। आगे से कोई गलती नही होगी। कृपया प्रकरण को समाप्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./368/एक्ट/2022/125 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना खोआ में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) – 22.29% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा**

**एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 30.0% होना चाहिये था। इसी प्रकार Total solids – 52.58% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 55.0% होना चाहिये था। इसी प्रकार B.R. Reading of extracted fat at 4⁰0 C – 48.5 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह 40 से 43 के मध्य होना चाहिये था। इसी प्रकार Reichert value of extracted Fat – 5.95 पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह minimum 26.0 होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी दुर्गा लाल शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा फर्म आर एस ऐजेंसी सालासर कॉम्पलेक्स, सांगानेरी गेट, भीलवाडा खोआ का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 17,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

**प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–**

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 दुर्गा लाल शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा फर्म आर एस ऐजेंसी सालासर कॉम्पलेक्स, सांगानेरी गेट, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)